न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 74 / 2022

प्रार्थी–

राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना बालोतरा जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. बाबूराम पुत्र वालाराम जाति जाट उम्र 20 वर्ष निवासी साजियाली पदमसिंह पुलिस थाना पचपदरा
2. प्रमोद आचेरी पुत्र स्व. कैलाशचंद जाति जीनगर उम्र 38 वर्ष पेशा व्यापार निवासी 21 / 755 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर
3. नवनीत गौड पुत्र रामकृष्ण जाति ब्राह्मण उम्र 46 वर्ष पेशा प्राईवेट नौकरी निवासी म.न. 4 ज 5 प्रतापनगर जोधपुर पुलिस थाना प्रतापनगर जिला जोधपुर
4. राजेश व्यास पुत्र स्व. मूलचंद जाति व्यास उम्र 48 वर्ष निवासी प्लॉट नंबर 2 बी गली नंबर 11 श्याम मनोहर नगर चौपासनी गांव जोधपुर पुलिस थाना राजीव गांधी नगर जोधपुर कमिश्नरेट

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955</u>

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुनील मेराजा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 13.02.2023

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 20.10.2021 कार्यालय हाजा में जरिये मोबाईल श्री सूरजसिंह हैड कानि नंबर 700 ने मन पुलिस उप अधीक्षक को सूचना दी कि मेगा हाईवे पर शिव कृपा होटल के सामने एक टैंकर में से मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) भरे हुए को एक शक्स बेच रहा है। उक्त सूचना पर

जिला कलक्टर बाड़मेर

मन पुलिस उप अधीक्षक धनफूल मीणा आरपीएस द्वारा सूरजसिंह हैड कानि 700 को टैंकर एवं उक्त शक्स को डिटेन कर रखने की हिदायत कर मन पुलिस उप अधीक्षक मय जाब्ता श्री हरफूलसिंह एएसआई सुरेन्द्रकुमार कानि 1643 मय सरकारी वाहन व चालक मोहनसिंह नं 1346 मय अनुसंधान बॉक्स एवं निजी प्रिन्टर व लेपटॉप के रवाना होकर मौका स्थल शिव कृपा होटल के सामने पहुंचे तो पूर्व हिदायत अनुसार श्री सूरजसिंह हैड कानि 700 मय जाब्ता श्री गोपालसिंह कानि 1231 श्री हेतराम आरएसी सीटी 411 श्री प्रकाश आरएसी सीटी 570 श्री राजूमल कानि चालक नंबर 1850 व सरकारी वाहन बोलेरो नंबर आरजे 04 यूए 6013 तथा डिटेनशुदा टैंकर व शक्स मौजूद मिले। इस पर सूरजसिंह हैड कानि ने बताया कि उक्त शक्स टैंकर में से मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) एक डम्पर वाले का बेच रहा था। डम्पर का चालक पुलिस को देखकर डम्पर लेकर भाग गया। मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) का बेचान कर रहे शक्स को नाम पूछने पर अपना नाम बाबूराम पुत्र वालाराम जाति जाट उम्र 20 वर्ष निवासी साजियाली पदमसिंह पुलिस थाना पचपदरा होना बताया। उक्त शक्स ने टैंकर की टंकी के चार हिस्सों में से अगले हिस्से में मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) भरा हुआ तथा शेष तीन हिस्से खाली होना बताया। बाबूराम को उक्त मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) को लाने व ले जाने व कब्जा रखने एवं बेचने के संबंध में वैध कागजात व लाईसेंस एवं टैंकर के कागजात के बारे में पूछने पर किसी भी प्रकार के कागजात एवं लाईसेंस नहीं होना बताया। कानि सुरेन्द्रकुमार 1643 को गवाहान लाने हेतु निर्देश देकर रवाना करने एवं पुनः लौटने पर उसके द्वारा बताया गया कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। इस पर मन पुलिस उप अधीक्षक ने हमरा जाब्ता में से श्री हरफूलसिंह सउनि एवं श्री सूरजसिंह हैडकानि 700 से सहमति प्राप्त कर स्वतंत्र गवाह मामुर किया। उक्त गवाहों ने उक्त दस्तयाब टैंकर नंबर आरजे 19 जीसी 3806 की टंकी के चार हिस्सों में से अगले वाले हिस्से में कुल 1835 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) भरा हुआ पाया एवं बाबूराम की शर्ट की सामने की जेब में रखे मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) बिक्री राशि 3200/- रूपये मिले। बाबूराम के मोबाईल फोन के वाट्सएप्प से आरोपी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नवनीत गौड व राजेश व्यास को मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) बेचान संबंधी चैट का स्क्रीनशॉट ली जाकर अभियुक्त बनाया गया एवं उक्त दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गये। जब्तशुदा टैंकर में भरे मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) में से 750 एमएल कांच की बोतल में नमूना सैम्पल वास्ते रासायनिक परीक्षण लिया जाकर सील चेपा किया गया। उक्तानुसार सीओ बालोतरा की रिपोर्ट पर एफआईआर संख्या 0548 दिनांक 21.10.2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज कर अन्वेषण शुरू किया गया। प्रकरण में सम्पन्न अनुसंधान, बरामदगी अवैध बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ, टैंकर, बयान गवाहान, घटनास्थल निरीक्षण इत्यादि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम बाबूराम पुत्र वालाराम जाति जाट उम्र 20 वर्ष निवासी साजियाली पदमसिंह पुलिस थाना पचपदरा द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, संग्रहण करना तथा बेचान करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा 1835 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम बाबूराम पुत्र वालाराम जाति जाट उम्र 20 वर्ष निवासी साजियाली पदमसिंह पुलिस थाना पचपदरा द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, संग्रहण करना तथा बेचान करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन अप्रार्थी सं. 2 के स्वामित्व का हैं जो मै0 रितु गुड्स कैरियर फर्म के नाम से पंजिबद्ध हैं। प्रार्थी द्वारा किये गये अनुसंधान में पाया गया हैं कि अप्रार्थी सं. 1

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाडमेर

व 3–4 के साथ मोबाईल पर हुई चैट के आधार पर अवैध बायो डीजल विक्रय किया जाना प्रमाणित पाया हैं तथा इसमें अप्रार्थी सं. 2 की कोई सक्रिय भूमिका स्पष्ट नहीं की हैं, ऐसे में अप्रार्थी सं. 1, 3 व 4 के अधिवक्ता को सुनवाई के प्रत्येक स्तर पर जवाब का समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उनके कब्जे से जब्तशुदा आवश्यक वस्तु के परिवहन, संग्रहण एवं बेचान के प्रतिरक्षण स्वरूप उनके द्वारा कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा 1835 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने के समुचित आधार मौजूद हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के उल्लंघन मे पाये गये सीजशुदा 1835 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर उक्त राजसात किये गये सीजशुदा 1835 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ का सार्वजनिक नीलामी द्वारा निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन टैंकर नम्बर आर0जे0 19 जीसी 3806 को उनके स्वामी अप्रार्थी सं. 2 को सुपुर्द किये जाने हेतु जब्ती से मुक्त किया जाता हैं। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक बाड़मेर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक पालना कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर